न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या— 12/2022

बउनवान

हल्लाल पुत्र कन्हैयालाल आयु 57 वर्ष जाति मीणा, निवासी ग्राम चुरेलिया, तहसील बारां जिला बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0)

(रेस्पोंडेंट)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. श्री ओम मेहता तृतीय, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 03.02.2023

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 25.02.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम चुरेलिया तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 92 रकबा 0.30 है., किस्म—चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 150/— रूपये शास्ति एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है ना ही स्वतंत्र गवाहान के बयान करवाये हैं। पत्रावली पर कब्जे एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य नहीं है ना ही मौके पर कब्जे की कोई पुष्टि हुई है। मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। अपीलांट ने आरोपित जुर्माना राशि जमा करवा दी है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में अपीलांट का कोई कब्जा नही है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2022 निरस्त किया जावें।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.22 12:46:46 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया तथा अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। उक्त भूमि पर वर्तमान में अपीलांट का कोई कब्जा नही है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2022 निरस्त किया जावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही अपीलांट को सजायाब किया गया है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी पर पूर्व में भी अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 591/19 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2019 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है, अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है। विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 92 रकबा 0.30 है., किस्म–चारागाह, ग्राम चुरेलिया पर सम्वत् 2078 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 591/19 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2019 से बेदखल किया जाना पटवारी हल्का के बयान से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 222/2022 में पारित आदेश दिनांक 25.02.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.22 12:46:46 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)